नगर निगम, रोहतक

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम, रोहतक द्वारा अपनी सीमा क्षेत्र में स्थित सभी आवसीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औधोगिक आदि भवनो की सम्पति कर का सर्वेक्षण कार्य हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का0आ0 46/ई0 अ0 16/1994 /धा0 149/2012 दिनांक 21.06.2012 की पालना मे, करवाया जा रहा है। यह कार्य मै0 सी0ई इन्फो सिस्टम (मैप माई इण्डिया) प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा घर-2 जाकर किया जा रहा है।

जनसाधारण से अनुरोध है कि अपने भवन से सम्बन्धित पूर्ण व सही ब्यौरा सम्बन्धित कम्पनी के सर्वेयर को उपलब्ध करवाने में सहयोग करें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पॉलिसी में सम्पतिकर को स्वयं घोषणा करने का भी प्रावधान है। आप स्वयं अपने सम्पति कर की घोषणा करने हेतु नगर निगम, रोहतक की Website- www.mcrohtak.gov.in या नगर निगम कार्यालय से फार्म नि:शुल्क प्राप्त करके नगर निगम की गृहकर शाखा में या निर्धारित एजेन्सी के कार्यालय (पुराना कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, नजदीक तहसील कार्यालय, सिविल रोड़, रोहतक) में भी जमा करवा सकते है।

उल्लेखित किया जाता है कि यदि सम्पति ब्यौरे में कोई भी त्रुटि रह जाने की सूरत में भवन मालिक को आपत्ति दर्ज करवाने के साथ-2 व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी नगर निगम द्वारा अलग से दिया जायेगा।

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।